कोर्ट फी COURT FEE 2 रु. Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

नकल आदेश पत्रावली 10-3-19 न्यायालय
उपजिलाधिकारी सदर जौनपुर।
वाद सं० T201914360403220 [illegible]
80 [illegible] [illegible]
इसी की तहसील सदर जौनपुर।
इण्डियन [illegible] हुसेनाबाद जौनपुर
[illegible] हरेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम [illegible]
ता० फै० 10-3-19

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :जौनपुर,तहसील :सदर
वाद सख्या :-03220/2019
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T201914360403220
इण्डियन एजुकेशनल ट्रस्ट हुसेनाबाद जौनपुर जरिये ट्रस्टी हरेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

इण्डियन एजुकेशनल ट्रस्ट 631 हुसेनाबाद ट्रस्टी हरेन्द्र प्रसाद सिंह पुत्र शीतला प्रसाद सिंह, निरंजन कुमार सिंह पुत्र शशिधर प्रसाद सिंह व डॉ0 सुभाष सिंह पुत्र स्व0 मोहन सिंह निवासी 631 हुसेनाबाद, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर ने आराजी नं0 361/0.287, 356/0.304, 358/0.458, 359/0.356 हे0 में से 0.912 हे0 स्थित मौजा लखौआं, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर के बावत धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के आलोक में तहसील से तहसीलदार सदर की जाँच आख्या दिनांक 09.05.2019 नियत प्रारूप पर प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार सदर ने इस आशय की जाँच आख्या प्रेषित किया है कि ग्राम लखौआं, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर में बैनामें के आधार पर मूल दस्तावेज से आराजी नं0 359/0.356 हे0 सम्पूर्ण, 358मि0/0.150 हे0 2गाटा/0.506 हे0 इण्डियन एजुकेशनल ट्रस्ट 631 हुसेनाबाद ट्रस्टी हरेन्द्र प्रसाद सिंह पुत्र शीतला प्रसाद सिंह निवासी सेहमलपुर के नाम सं0भू0 अंकित है। आराजी नं0 361मि0/0.144 हे0 व 356मि0/0.043 हे0 व 358मि0/0.022 हे0 इण्डियन एजुकेशनल ट्रस्ट 631 हुसेनाबाद ट्रस्टी डॉ0 सुभाष सिंह पुत्र स्व0 मोहन सिंह निवासी उमरपुर हरिबन्धनपुर व आराजी नं0 350/0.458 हे0 व 356/0.304 हे0 में से 0.197 हे0 इण्डियन एजुकेशनल ट्रस्ट 631 हुसेनाबाद ट्रस्टी निरंजन कुमार सिंह पुत्र शशिधर प्रसाद सिंह निवासी उमरपुर हरिबन्धनपुर के नाम सं0भू0 अंकित है। आराजी नं0 359/0.356 हे0, 358/0.172 हे0, 361/0.144 हे0 पर इण्डियन एजुकेशनल ट्रस्ट 631 हुसेनाबाद ट्रस्टी उपरोक्त की भूमि पर इण्डियन एजुकेशनल ट्रस्ट लखौआं का विद्यालय व खेल का मैदान स्थित है, जो अकृषिक है। आराजी नं0 356मि0/0.240 हे0 जो इण्डियन एजुकेशनल ट्रस्ट लखौआं के नाम अंकित है यह भूमि मौके पर खाली है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। प्रकरण व्यवसायिक होने के कारण प्रार्थी द्वारा सर्किल रेट के मुताबिक 1 प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क 191520/–रू0 (भारतीय स्टेट बैंक शाखा जौनपुर में जमाकोष करके चालान की मूल प्रति) तथा 191520/–रू0 का न्याय शुल्क भारतीय कोर्ट फी स्टैम्प पेपर प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में तहसीलदार सदर की जाँच आख्या दिनांक 09.05.2019 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा लखौआं, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर की आराजी नं0 361मि0/0.144, 356मि0/0.178, 358मि0/0.234, 359/0.356 हे0 कुल 0.912 हे0 का मालगुजारी मुताबिक 60–ख कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त होना घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर एवं उपनिबंधक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

10.05.19

(मंगलेश दूबे)
उप जिलाधिकारी
सदर–जौनपुर।

14-5-19
14-5-19
14/05/19